

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/179

दिनांक:- 8-2-18

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा-2013 के नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेशालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2017, 06.07.2017, 12.07.2017 एवं 13.07.2017 द्वारा विभिन्न विभाग/कार्यालयों में पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेशों की पालना में जिन कनिष्ठ लेखाकारों ने नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से छः माह की अवधि में कार्यग्रहण नहीं किया है उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। अतः सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों से अनुरोध है कि ऐसे नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों को समसंख्यक आदेशों की पालना में कार्यग्रहण नहीं करावें।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(6)/अलेसे-III/179

दिनांक:- 8-2-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
4. संबंधित कोषाधिकारी
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)